श्रीमती सरोजिनी हेम्ब्रम (ओडिशा): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को संबद्ध करती हूं।

श्री राजाराम (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

श्री हरिवंश (बिहार): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

SHRI VIVEK K. TANKHA (Madhya Pradesh): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRI MAJEED MEMON (Maharashtra): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

श्री संजय सेठ (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

श्री सुरेन्द्र सिंह नागर (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

श्रीमती जया बच्चन (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को संबद्ध करती हूं।

श्री रेवती रमन सिंह (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

प्रो. मनोज कुमार झा (बिहार): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

Need for recognition and grant of Central Pension to the victims of internal emergency of 1975

SHRI PRASANNA ACHARYA (Odisha): Sir, the midnight of 25th June, 1975 was a black moment in the history of Indian democracy. Sir, 43 years ago, the internal Emergency was declared in this country, and, consequently, there were widespread agitations led by late Lok Nayak Jayaprakash Narayan to restore democracy. Many leaders were arrested and among those were Morarji Desaiji, Atalji, Advaniji, and, Sir, even the leader of the then ruling party, honourable late Shri Chandrasekharji, was also put inside the jail. Apart from these leaders, hundreds and thousands of people of this country were also put inside the jails.

CHAIRMAN: What is your suggestion?

SHRI PRASANNA ACHARYA: I am coming to that, Sir. Some people of those times are now occupying the seat of power but hundreds and thousands of persons, commoners, who fought to restore democracy were also there, and, most of them are unlamented and forgotten by these people, people who are occupying the seat of power due to the sacrifice of those common people.

Sir, personally, I know that there was a young rickshaw puller at that time who was arrested and put inside the jail, and, Sir, at this old age, he is still pulling a rickshaw in my own hometown. There was a beetle shop owner, who took part in the agitation, got arrested and put inside the jail for 19 months. He lost his beetle shop, and, now, he is a poor citizen of this country.

So, my suggestion to the Government is to give some sort of recognition to those fighters of the second freedom struggle led by Shri Jaya Prakash Narayan. Number two, those poor people are still poor. All of them did not become MLAs, MPs, Ministers and Prime Ministers. Many of those who fought for independence are still commoners and suffering. Let this Government give them some sort of recognition and provide, at least, a meagre pension to those who are in need these days. That is my submission to this Government, Sir.

Sir, during the last Session, I put a question to the hon. Home Minister asking about the number of those people, who took part in that struggle and were arrested and put inside the jails and who are still alive. Unfortunately, the Government does not have the reply till now. They have been collecting the information for the last four months and I am yet to get the reply.

Sir, my second point is, most of the freedom fighters who fought for the independence of the country are no more, but a few of them are there at the age of 90, 92, 93, 95.

MR. CHAIRMAN: Your time is going to end now.

SHRI PRASANNA ACHARYA: Just half-a-minute, Sir.

Children of many of them are now in a very pathetic condition. Properties of many freedom fighters were attached during the British time. These properties were not rescued after Independence.*

*Not recorded.

MR. CHAIRMAN: It is not going on record. ...*(Interruptions)*... Thank you. ...*(Interruptions)*...

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल): सभापति जी, जो लोग आपातकाल में जेल में रहे, उन्हें कुछ राज्यों में पेंशन मिलती है। **...(व्यवधान)...**

SHRI PRASANNA ACHARYA: *

MR. CHAIRMAN: The names of all the people who have raised their hand should be given.

श्री नीरज शेखर (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

श्री रेवती रमन सिंह (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

श्री अखिलेश प्रसाद सिंह (बिहार): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

डा. चन्द्रपाल सिंह यादव (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

श्री राम नाथ ठाकुर (बिहार): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

श्री राम विचार नेताम (छत्तीसगढ़): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

श्री सुरेश गोपी (नाम-निर्देशित): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

श्रीमती रूपा गांगुली (नाम-निर्देशित): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को संबद्ध करती हूं।

SHRI NARESH GUJRAL (Punjab): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

DR. NARENDRA JADHAV (Nominated): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

---

*Not recorded.

SHRIMATI WANSUK SYIEM (Meghalaya): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

श्री सैयद नासिर हुसैन (कर्नाटक): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

श्री हरिवंश (बिहार): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

SHRI K. K. RAGESH (Kerala): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRIMATI SAROJINI HEMBRAM (Odisha): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

Need for inclusion of six communities of Assam in the ST list

श्री सन्तियुस कुजूर (असम) : सभापति जी, आपने आज मुझे ज़ीरो ऑवर में बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद।

महोदय, मैं आज असम के बहुत ही sensitive, serious and important issue को सदन में रखना चाहता हूं। असम के छः आदिवासी समुदाय मोरान, मुटॉक, ताई-अहोम, कोच-राजबोंगशी और सूटिया पिछले बहुत सालों से मांग कर रहे हैं कि उन्हें Schedule Tribes की सूची में शामिल किया जाए, लेकिन आज तक उन्हें Schedule Tribes की सूची में शामिल नहीं किया गया है।

महोदय, भारत सरकार ने दिनांक 28 मई, 2016 को एक कमेटी बनाई थी जिसे निर्देश दिए गए थे कि जल्दी-से-जल्दी एक ऐसी modality तैयार की जाए, जिसके तहत इन छः समुदायों को ST में शामिल किया जा सके। उस कमेटी को यह भी बोला गया था कि वह कमेटी अपनी रिपोर्ट तीन महीने में दे, लेकिन अब तक, यानी दो साल बाद तक उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट नहीं दी है।

महोदय, इन छः समुदायों में असम के आदिवासी भी हैं। उन आदिवासियों को वहां से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में खेतों में काम करने के लिए ले जाया गया था। वे देश के हर राज्य में, चाहे पश्चिम बंगाल हो, बिहार हो, छत्तीसगढ़ हो या कोई और राज्य, वहां वे ST की category में आते हैं, लेकिन असम में अभी तक उन्हें ST की category में शामिल नहीं किया गया है।

महोदय, इन आदिवासियों जिनमें उरांव मुंडा, संथाल, खड़िया, सवरा, उड़िया आदि लोग हैं, जिन्हें देश के सभी राज्यों में आदिवासी जनजातियों की सूची में शामिल किया गया है, लेकिन असम में